निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1937 (शo)

(सं0 पटना 534) पटना, मंगलवार, 5 मई 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 अप्रील 2015

सं0 वि०स०वि०-10/2015-2053/वि०स० ।—''बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 21 अप्रील, 2015 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विघान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया,

प्रभारी सचिव ।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015

[वि०स०वि०–09/2015]

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना। – चूँकि, भारत सरकार से केन्द्रीय योजनागत योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के स्वरूप में व्यापक परिवर्त्तन हुए हैं और बजट प्रावधान उसके अनुरूप नहीं किया गया है और राशि का व्यय शीघ्र किया जाना अपेक्षित है, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए पैक्स के माध्यम से गेहूँ/धान की अधिप्राप्ति की जानी है, और चूँकि, राज्य में अनियमित मौनसून एवं भू–जलस्तर गिरने के कारण कृषि पर कभी–कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना रहती है जिसके कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना होता है, साथ ही साथ, कई अन्य आवश्यक कार्यों को तुरन्त निष्पादित करने की आवश्यकता रहती है।

वर्ष 2012 में बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) में धारा–4 'क' का अंतःस्थापन किया गया था और जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि स्थायी काय 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये से अधिक वृद्धि करने की यदि अपेक्षा हो तो मंत्रिपरिषद् द्वारा अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकेगा जो उस वर्ष के वित्तीय वर्ष के 30 मार्च तक, व्यय बजट का अधिकतम 3 (तीन) प्रतिशत तक होगा और उस राशि में से एक तिहाई राशि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास उपायों के लिए किया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार आकस्मिकता निधि का 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये के स्थायी काय के अतिरिक्त अस्थायी काय की व्यय बजट के 3 (तीन) प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी अपर्याप्त साबित हो रही है, अतः उक्त राशि को 3 (तीन) प्रतिशत से बढ़ा कर 4 (चार) प्रतिशत करना अपेक्षित है, के संदर्भ में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।– (1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) की धारा–4 'क' में संशोधन । – बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) की धारा–4 'क' में शब्द ''3 (तीन) प्रतिशत'' को शब्द ''4 (चार) प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

वित्तीय संलेख

बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये का है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के केन्द्रीय बजट में भारत सरकार से केन्द्रीय योजनागत योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के स्वरूप में व्यापक परिवर्त्तन किए गए हैं और राज्य सरकार के 2015–16 के बजट प्रावधान उसके अनुरूप नहीं किया गया है और राशि का व्यय शीघ्र किया जाना अपेक्षित है। किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य दिलाने के लिए पैक्स के माध्यम से गेहूँ/धान की अधिप्राप्ति की जानी है, और चूँकि, राज्य में अनियमित मौनसून एवं भू–जलस्तर गिरने के कारण कृषि पर कभी–कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना रहती है जिसके कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त विकास कार्यों में आकस्मिक प्रकृति के खर्चों को भी पूरा किए जाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है। वर्तमान में बिहार आकस्मिकता निधि के 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये के स्थायी काय के अतिरिक्त अस्थायी काय में व्यय बजट के 3 (तीन) प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी अपर्याप्त साबित हो रही है;

इस आलोक में बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) की धारा 4'क' में संशोधन कर प्रत्येक वर्ष के लिए अस्थायी काय को उस वर्ष के व्यय बजट के 4 (चार) प्रतिशत की अधिसीमा तक बढ़ाया जा सकेगा । इस बढ़ी हुई कुल राशि की एक तिहाई राशि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जाएगा।

इसी उद्देश्य से बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 को अधिनियमित कराना आवश्यक है।

अतएव प्रस्ताव है कि बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 की स्वीकृति दी जाए।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)

भार साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये एवं अस्थायी काय वर्ष के व्यय बजट का 3 (तीन) प्रतिशत तक है। कई आवश्यक कार्यों को तुरंत निष्पादित करने की आवश्यकता रहती है और आकस्मिकता निधि का वर्त्तमान स्थायी काय 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये एवं अस्थायी काय से उपलब्ध राशि अपर्याप्त हो जाती है।

इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) की धारा–4 'क' में संशोधन कर 3 (तीन) प्रतिशत के स्थान पर 4 (चार) प्रतिशत की राशि उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था की जाय। राशि के शोधन और विनियोग हेतु व्यवस्था करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित करना ही विधेयक का अभीष्ट है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक 21.04.2015

प्रभारी सचिव
बिहार विधान–सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 534-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in